Mussoorie Dehradun Development Authority

working for you and helping you

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 74 वीं बोर्ड बैठक

दिनांक – 25.10.2008

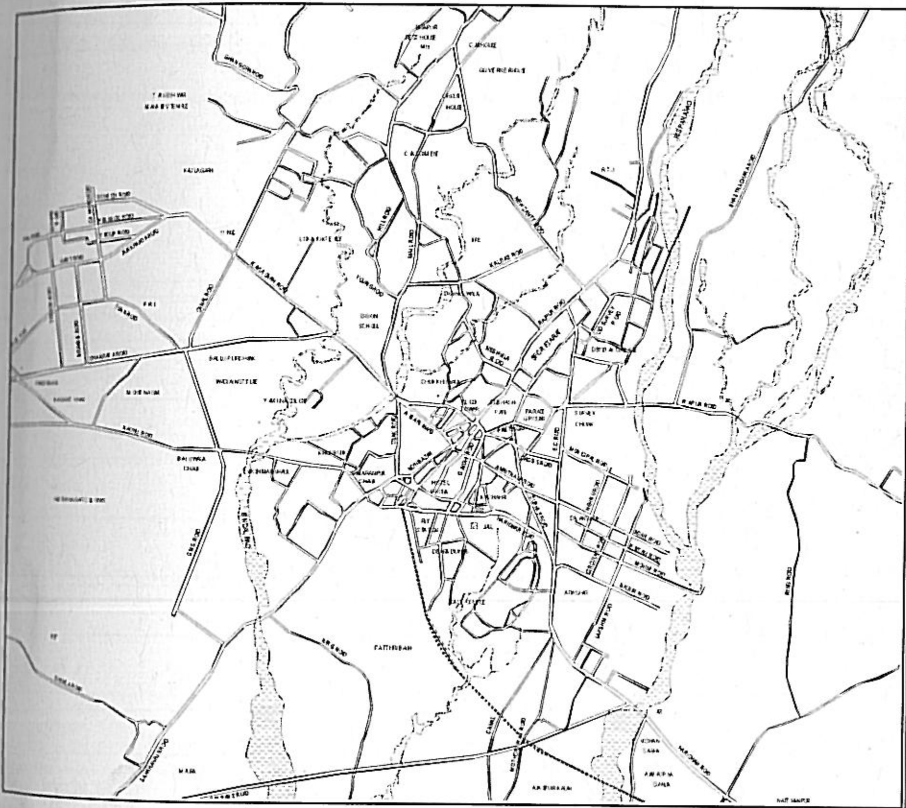

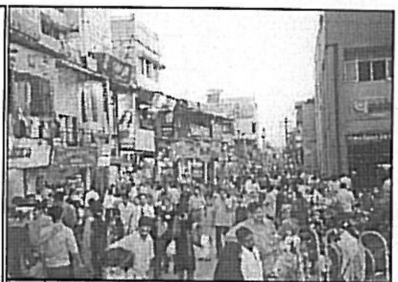

12 प्रीतम रोड, डालनवाला, देहरादून–248001

फोनः– 0135–2673149, 0135–2678325 फैक्सः–0135–2672506

वेबसाइटः– Mddaonline.com ई–मेलः–info@mddaonline.com

आज दिनांक 25.10.2008 को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 74वीं बोर्ड बैठक प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नानुसार सदस्यों एवं अधिकारियों की उपस्थिति है।

1. श्री सुभाष कुमार, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल	अध्यक्ष
2. श्री आर0मीनाक्षी सुन्दरम्, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण	उपाध्यक्ष
3 श्री एम0सी0जोशी,अपर सचिव, वित्त,उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
4 श्री सौरभ जैन,अपर सचिव,आवास, उत्तराखण्ड	सदस्य
5. डा0 राकेश कुमार, जिलाधिकारी, देहरादून	सदस्य
6. श्री इन्दुधर बोड़ाई मुख्य नगर अधिकारी,देहरादून	सदस्य
7. अधीक्षण अभियंता, पेयजल निगम,देहरादून	सदस्य

अन्य उपस्थितिः–

1. सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,देहरादून।
2. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,देहरादून।
3. नगर नियोजक, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,देहरादून।
4. अधिशासी अभियंता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,देहरादून।

प्राधिकरण की 74 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 25.10.08 की कार्यवाही

प्रकरण बोर्ड के समक्ष सूचनार्थ एव संज्ञानार्थ

क्रमांक 1 :– बोर्ड बैठक दिनांक 28.2.2008 के विषय क्रमांक–1 पर लिए गये निर्णय के अनुपालन में बोर्ड के समक्ष *परिचालन* के माध्यम से प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव का अवलोकन करते हुए औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गयी।

क्रमांक 2 :– ऐसे स्थान जहां 50 से 60 प्रतिशत भूखण्ड बन चुके है, वहां शमन उपविधि 1998 के अधिनियम की धारा–32 के अन्तर्गत उपविभाजन शुल्क लिये जाने विषयक ।

प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

क्रमांक 3 :– कारगिल शहीद मै0 विवेक गुप्ता की बहन कुमारी रेणु गुप्ता को आवंटित पैट्रोल पम्प हेत ग्राम–हर्रावाला के खसरा नम्बर 447/1 में मानचित्र पत्रावली संख्या C –28/02–03 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

क्रमांक 4 :– भवन मानचित्र पत्रावली संख्या 712/07–08 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

क्रमांक 5 :– श्री राकेश चन्द्र बिजल्वाण मौजा–केदारपुर देहरादून में आवासीय भवन मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

क्रमांक 6:– श्री नरेन्द्र कुमार चढ्ढा, नैशविला रोड, देहरादून के विरूद्व योजित वाद संख्या 540/एस–6/93 को स्वैच्छिक शमन योजना के अन्तर्गत भू–उपयोग परिवर्तन करते हुये शमन किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

74 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 25.10.2008 का एजेंडा

विषय कमांक 1 :– प्राधिकरण का वर्ष 2007–08 का पुनरीक्षित एवं वर्ष 2008–09 का प्रस्तावित बजट।

बजट पर विचार–विमर्श किया गया एवं प्राधिकरण का वर्ष 2007–2008 एवं वर्ष 2008–2009 का प्रस्तावित बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया।

विषय कमांक 2 :–प्राधिकरण में कार्यरत नियमित कर्मचारियों के बीमा के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया एवं संस्तुति प्रदान करते हुए प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित करनें के निर्देश दिये गये।

विषय कमांक 3 :–मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण में निर्माण एवं विकास कार्यो हेतु ठेकेदारो के पजीकरण एवं नवीनीकरण नियमावली में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श दौरान स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय कमांक 4 :– श्रीमती ज्योति उनियाल द्वारा खसरा नम्बर 203 अजबपुर कलां में वीरचन्द्र सिंह गढवाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अर्न्तगत मोटल निर्माण की स्वीकृति हेतु पत्रावली संख्या C –30/04–05 के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श के दौरान निर्णय लिया गया कि यदि मानक पूरे नही होते है तो प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया जाये।

विषय कमांक 5 :– श्री कृष्ण कुमार जायसवाल, 195 लूनिया मौहल्ला, देहरादून के भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श के दौरान निर्णय लिया गया कि यदि मानक पूरे नही होते है तो प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया जाये।

विषय कमांक 6 :– मानचित्र संख्या सी–0003/08–09 सम्पत्ति संख्या 6, कास रोड की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श दौरान निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव स्पष्ट तकनीकी आख्या एवं संस्तुति सहित बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाये।

विषय कमांक 7 :– मानचित्र संख्या सी–0072/06–07 के अन्तर्गत श्री विजय खन्ना, मै0 पैराडाइज होटल एण्ड रिसोर्ट द्वारा ग्राम कांवली में भूमि ख0 नं0 638, 639, 639/1, 639/2 कुल भूमि क्षेत्रफल 1980.31 वर्ग मीटर में होटल निर्माण के सम्बन्ध में ।

विचार विमर्श दौरान निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव स्पष्ट तकनीकी आख्या एवं संस्तुति सहित बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाये।

विषय कमांक 8 :– मानचित्र संख्या 0008/08–09 स्थल 54 ई0सी0 रोड की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श दौरान निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव स्पष्ट तकनीकी आख्या एवं संस्तुति सहित बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाये।

विषय कमांक 9 :– माननीय उच्च न्यायालय, में प्राधिकरण के वादों की प्रभावी पैरवी हेतु अधिवक्ताओं के पैनल विस्तार के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श दौरान निर्णय लिया गया कि वर्तमान में अन्य कोई अधिवक्ता नियुक्त किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

विषय कमाक 10 :–पत्रावली संख्या 1651/07–08 खसरा नं0 167 पुराना मौजा अधोईवाला देहरादून के स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श दौरान निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव स्पष्ट तकनीकी आख्या एवं संस्तुति सहित बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाये।

विषय कमाक 11 :– पत्रावली संख्या 388/04–05 श्रीमती मंजुला जोशी मौजा आमवाला तरला का भू–उपयोग उद्यान में स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

विचार विमर्श दौरान निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव स्पष्ट तकनीकी आख्या एवं संस्तुति सहित बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाये।

विषय कमांक 12 :– कृषि भू–उपयोग मे लाईब्रेरी के निर्माण की अनुमति के सम्बन्ध मे।

विचार विमर्श दौरान निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव स्पष्ट तकनीकी आख्या एवं संस्तुति सहित बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाये।

विषय कमांक 13 :— मानचित्र संख्या 387/07—08 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श दौरान निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव स्पष्ट तकनीकी आख्या एवं संस्तुति सहित बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाये।

विषय कमांक 14 :— मानचित्र संख्या सी—0021/07—08 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श दौरान निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव स्पष्ट तकनीकी आख्या एवं संस्तुति सहित बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाये।

विषय कमांक 15 :— श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल, द्वारा प्रस्तुत आवासीय भवन मानचित्र में रोड वाइडनिंग मे छूट के सम्बन्ध मे।

विचार विमर्श दौरान निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव स्पष्ट तकनीकी आख्या एवं संस्तुति सहित बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाये।

विषय कमांक 16 :— वाद संख्या सी—0051/एस—6/08 श्री सतीश शर्मा, राज प्लाजा, राजपुर रोड देहरादून के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श दौरान निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव स्पष्ट तकनीकी आख्या एवं संस्तुति सहित बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाये।

विषय कमांक 17 :—वाद पत्रावली संख्या—सी—0538/एस—4/07 श्री कुनचौके सैम्पा के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श दौरान निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव स्पष्ट तकनीकी आख्या एवं संस्तुति सहित बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाये।

विषय कमांक 18 :— आवेदक द्वारा सम्पत्ति सं0 —18 प्रीतम रोड डालनवाला में मानचित्र सं0 सी—21/06—07 तथा सम्पत्ति सं0 3/1 प्रीतम रोड डालनवाला में मानचित्र सं0 सी—23/06—07 के सम्बन्ध में ।

विचार विमर्श दौरान निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव स्पष्ट तकनीकी आख्या एवं संस्तुति सहित बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाये।

विषय क्रमांक 19 :–आंबटी श्री अवरार अहमद पुत्र श्री लतीफ अहमद को आंबटित भवन सं0 04 आश्रय योजना लोहियापुरम में किस्तों को कम से कम करने एवं दण्ड ब्याज माफ किये जाने के संबध मे।

विचार विमर्श दौरान निर्णय लिया गया कि आवेदक की आर्थिक स्थिति की जॉच कर ली जाये एवं विस्तृत प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

विषय क्रमांक 20 :– आबंटी श्री रामकृष्ण निर्मल के भवन संख्या 13 भूतल एव0आई0जी0, नेहरूपुरम आवासीय योजना में किश्तों में सम्मिलत ब्याज एवं दण्ड ब्याज माफ किये जाने के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श दौरान प्रस्ताव विस्तृत आख्या सहित अग्रिम बोर्ड बैठक में प्रस्ततु किया जाये।

विषय क्रमांक 21 :– तारवलिंग एसोसियेशन के अध्यक्ष द्वारा पूर्व में जमा किया गया गया भू–उपयोग परिवर्तन रू0 373860.00 शुल्क माफ किये जाने के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श दौरान निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव स्पष्ट तकनीकी आख्या एवं संस्तुति सहित बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाये।

विषय क्रमांक 22 :– **श्री यश मेहता एंव श्रीमती उमा उनियाल द्वारा आरकेडिया ग्रान्ट के भूमि खसरा नम्बर 478 एंव 490 में सीनियर हास्टल एंव स्किल सेन्टर फार डैस्टिट्यूट चिल्ड्रन आफ रूरल** बैक ग्राउन्ड **(Pestalozzi Children's Village Society)** के भवन निर्माण की स्वीकृति के संबंध में।

विचार विमर्श दौरान निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव स्पष्ट तकनीकी आख्या एवं संस्तुति सहित बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाये।

विषय क्रमांक 23 :–लोहियापुरम आवासीय योजना में आंवटित भूखण्ड सं0 05 का सर्किल रेट पर दिये जाने के संबध में।

विचार विमर्श दौरान सर्किल रेट पर पारदर्शी नीति अपनाकर रिक्त भूखण्डो को बेचे जाने का निर्णय लिया गया।

विषय कमांक 24:–ग्राम कण्डौली में स्थित श्रीमती आशा वर्मा द्वारा प्रस्तुत भवन मानचित्र की न्यूनतम चौड़ाई में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श दौरान निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव स्पष्ट तकनीकी आख्या एवं संस्तुति सहित बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाये।

विषय कमांक 25 :– अजबपुर कंला आवासीय योजना में रिक्त 11 दुर्बल आय वर्ग के भवनों की कीमत फ्रीज किये जाने के संबध में।

विचार विमर्श दौरान निर्णय लिया गया कि कमांक–1 के आधार पर भवन का मूल्य फ्रीज करते हुए भवन विक्रय दर निर्धारित की जाये।

विषय कमांक 26 :– इन्डस्ट्रियल एरिया, पटेल नगर, देहरादून स्थित खसरा नम्बर 657 पुराना खसरा नम्बर 449 में लघु उधोग स्थापित किये जाने हेतु निर्धारित न्यूनतम क्षेत्रफल में छूट दिये जाने विषयक।

विचार विमर्श दौरान निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव स्पष्ट तकनीकी आख्या एवं संस्तुति सहित बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाये।

विषय कमांक 27:– मानचित्र सं0 2420/04–05–आर0ई0–1 में कनवर्जन शुल्क में छूट दिये जाने विषयक।

विचार विमर्श दौरान निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव स्पष्ट तकनीकी आख्या एवं संस्तुति सहित बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाये।

विषय कमांक 28:– मानचित्र सं0 आर–0918/04–05 की स्वीकृति के संबंध में।

विचार विमर्श दौरान निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव स्पष्ट तकनीकी आख्या एवं संस्तुति सहित बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाये।

विषय कमांक 29:– श्री शेषधर पाण्डेय एण्ड श्री दीपक नौटियाल, 63–ए राजपुर रोड का भवन मानचित्र संख्या 1808/2007–08 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श दौरान निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव स्पष्ट तकनीकी आख्या एवं संस्तुति सहित बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाये।

विषय क्रमांक 30:– श्री टी0के0सिंह, अधिवक्ता को प्रतिमाह रू0 10,000/– रिटरनरशिप के अन्तर्गत अनुबंधित करने के सम्बन्ध में ।

विचार विमर्श के दौरान यह निर्णय लिया गया कि प्रतिमाह 10,000/– की धनराशि दिये जाने का विस्तृत विवरण सहित अग्रिम बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करें।

विषय क्रमांक 31:– श्री राजीव लूथरा द्वारा प्रस्तुत मानचित्र स्थल खसरा नं0 227 ग्राम कांवली के भूखण्ड में एक फिट की छूट दिये जाने के सम्बन्ध में ।

विचार विमर्श दौरान निर्णय लिया गया कि भूखण्ड की चौड़ाई भवन उपविधि के अनुसार 7.5 मीटर अर्थात 25 फीट होनी चाहिए जबकि आवेदक के भूखण्ड की चौड़ाई 24 फीट है अतएव एक फीट की छूट प्रदान की जाती है। अतएव मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही की जाये।

विषय क्रमांक 32 :– मानचित्र पत्रावली संख्या R-0575/06-07 सम्पत्ति संख्या 14 कर्जन रोड देहरादून की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श दौरान निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव स्पष्ट तकनीकी आख्या एवं संस्तुति सहित बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाये

विषय क्रमांक 33:–The Institute Of Franciscan Clarist Sisters Of The Most Blessed Sacrament Of Dehradun **के स्वीकृत मानचित्र में विकास शुल्क माफ कराने के सम्बन्ध में।**

विचार विमर्श दौरान निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव स्पष्ट तकनीकी आख्या एवं संस्तुति सहित बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाये।

विषय क्रमांक 34 :– सम्पत्ति संख्या 20 सहारनपुर रोड पर हिन्दुस्तान पैटोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत मै0 रायल फिलिंग स्टेशन के मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श दौरान निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव स्पष्ट तकनीकी आख्या एवं संस्तुति सहित बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाये।

विषय कमांक–35:– **निरंजनपुर स्थित खसरा नम्बर 189 में आवासीय भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाने के विषयक।**

विचार विमर्श दौरान निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव स्पष्ट तकनीकी आख्या एवं संस्तुति सहित बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाये।

विषय कमांक–36:– **टिहरी बॉध परियोजना से प्रभावित परिवारो को जनपद देहरादून में विभिन्न स्थानो पर आंवटित कृषि/आवासीय कालोनियों में किये गये अवैध निर्माणो के विरूद्व कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।**

विचार विमर्श के दौरान उक्त भूमि में किये गये अवैध निर्माणो के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

विषय कमांक 37 – मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की ओर अवैध निर्माण को ध्वस्तीकरण हेतु 24 सीटर बस को कय करने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के दौरान 24 सीटर बस को कय करने के प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण हेतु वाहन किराये पर लेने हेतु निर्देश दिये गये।

विषय कमांक 38:– Project Management Unit हेतु एक प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट पर्सनल को संविदा पर रखे जाने के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के दौरान निर्णय लिया गया कि **Project Management Unit का गठन** वित्त विभाग की अधिप्राप्ति नियमावली के अनुरूप किया जाये।

विषय कमांक 39:– ग्राम–अस्थल में स्थित खसरा नम्बरान पुराने 126, 137, 138, 141, 143,144 एवं 145ये खसरा नम्बरान 151,152क,152ख,153,154,155,156 एवं 157ख रकबा 2.7975 है0 भूमि का भू–उपयोग कृषि भू–उपयोग से शैक्षणिक भू–उपयोग में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के पश्चात् प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

विषय कमांक 40 – श्री दयाराम कर्णवाल का भूखण्ड खसरा नम्बर 192/2 व 194/1 निरंजनपुर देहरादून का भू–उपयोग सी–2 है पर आवासीय भवन मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श दौरान निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव स्पष्ट तकनीकी आख्या एवं संस्तुति सहित बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाये।

विषय कमांक 41 – मानचित्र संख्या 1074/07–08 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श दौरान निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव स्पष्ट तकनीकी आख्या एवं संस्तुति सहित बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाये।

अनुपूरक विषय कमाक 1 :– श्री हर्ष वर्घन व श्री आदित्यवर्धन आर्य द्वारा ग्राम कारगी में प्रस्तावित प्राईमरी स्कूल के मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श दौरान निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव स्पष्ट तकनीकी आख्या एवं संस्तुति सहित बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाये।

अनुपूरक विषय कमांक 2:– वाहनो के अनुपात में विभाग मे कार्यरत वाहन चालको के स्थाईकरण के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के दौरान निर्णय लिया गया प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
उपाध्यक्ष,

(सुभाष कुमार)
आयुक्त/अध्यक्ष